

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 819 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 16 / 12 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. विष्णु उर्फ विश्वनाथ पुत्र अमर सिंह गुर्जर, उम्र 39 वर्ष।  
निवासी :- ग्राम घिरौंगी, थाना :- मालनपुर, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।  
..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 04 / 09 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ पर धारा 294, 327, 452 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 26 / 09 / 2016 को दोपहर लगभग 03:00 बजे शिव शक्ति फ़ैक्ट्री ऑफिस के अन्दर मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी जितेन्द्र नागवानी को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी जितेन्द्र से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी जितेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी जितेन्द्र को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी जितेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 26 / 09 / 2016 को दोपहर लगभग 03:00 बजे शिव शक्ति फ़ैक्ट्री ऑफिस के अन्दर मालनपुर में आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ द्वारा फरियादी जितेन्द्र से गाली-गलौच करने, 50,000/- रुपये मांगने, ना देने पर उसकी मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी जितेन्द्र द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 166 / 2016 अन्तर्गत धारा 452, 294, 323, 327 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान टटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी जितेन्द्र, उदय सिंह, आंसुल जैन एवं विशम्भर के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर

अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त विष्णु उर्फ विश्वनाथ के विरुद्ध धारा 294, 327, 452 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ ने दिनांक :- 26/09/2016 को दोपहर लगभग 03:00 बजे शिव शक्ति फ़ैक्ट्री ऑफिस के अन्दर मालनपुर में, फरियादी जितेन्द्र से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी जितेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी जितेन्द्र को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी जितेन्द्र नागवानी अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 09/08/2017 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर दोपहर 03:00 बजे की है। उस दिन उसका आरोपी विष्णु से मोबाइल पर मुँहवाद हो गया था। उसके बाद उसका आरोपी से रूपयों के उपर मुँहवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा लिखित रूप में की गई थी, जो प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त लेखी आवेदन पर से लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी. 03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी जितेन्द्र नागवानी अ.सा.01 ने आरोपी विष्णु

उर्फ विश्वनाथ द्वारा दिनांक :- 26/09/2016 को दोपहर लगभग 03:00 बजे शिव शक्ति फैक्ट्री ऑफिस के अन्दर मालनपुर में, उससे रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार करने का तथ्य नहीं बताया है। इस बावत् फरियादी जितेन्द्र नागवानी अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके लेखी आवेदन प्र.पी.01, लेखी आवेदन प्र.पी.01 पर से लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

08. आरोपी तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी जितेन्द्र नागवानी अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ ने दिनांक :- 26/09/2016 को दोपहर लगभग 03:00 बजे शिव शक्ति फैक्ट्री ऑफिस के अन्दर मालनपुर में, फरियादी जितेन्द्र से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी जितेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी जितेन्द्र को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

### अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ के विरुद्ध धारा 327 एवं 452 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को भा.द.सं. की धारा 452 एवं 327 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद